



2026:AHC:178442

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29834 वर्ष 2026

रवींद्र नगर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : रंजना पांडे, विष्णु प्रताप पांडे

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रताप पांडेय की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता श्री राजेश कुमार मिश्रा तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।

2. प्रस्तुत द्वितीय आवेदन अपराध संख्या 104 सन् 2026, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अंतर्गत, थाना सूरजपुर, जनपद गौतमबुद्ध नगर में पंजीकृत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दाखिल द्वितीय जमानत आवेदन है तथा उसका प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.5.2026 के आदेश के माध्यम से स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों पर विचार करने के उपरांत निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि अभियोजन के अनुसार आवेदक वाहन का चालक एवं स्वामी था तथा उसके वाहन से लगभग 80 किलोग्राम गांजा, जो वाणिज्यिक मात्रा से अधिक की भारी मात्रा थी, बरामद किया गया था; किंतु वह वर्तमान द्वितीय जमानत आवेदन को इस एकमात्र आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन निरस्त किए जाने के उपरांत सह-अभियुक्त मॉटी को इस न्यायालय की अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 29.7.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है तथा उसके जमानत आदेश को वाद-पत्र की पत्रावली के पृष्ठ 64 पर संलग्न किया गया है और आवेदक का मामला उसके समान है।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और इसलिए समानता के आधार पर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दाखिल द्वितीय जमानत आवेदन है और उसका प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.5.2026 के अत्यंत विस्तृत आदेश के माध्यम से इस तथ्य पर विचार करने के उपरांत निरस्त किया गया था कि आवेदक वाहन का चालक एवं स्वामी है तथा उसके वाहन से 80 किलोग्राम से अधिक गांजा, जो भारी वाणिज्यिक मात्रा थी, बरामद किया गया था।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह परिलक्षित होता है कि आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन निरस्त किए जाने के उपरांत सह-अभियुक्त मॉटी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है, किंतु चूंकि आवेदक वाहन का स्वामी एवं चालक है, इसलिए उसका मामला सह-अभियुक्त मॉटी के मामले से भिन्न है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अतः मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

9. यह आवेदक की ओर से दाखिल द्वितीय जमानत आवेदन है और उसका प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.5.2026 को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों पर विचार करने के उपरांत निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि अभियोजन के अनुसार आवेदक के वाहन से 80 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था, जो भारी वाणिज्यिक मात्रा थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. वर्तमान द्वितीय जमानत आवेदन को इस एकमात्र आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन निरस्त किए जाने के उपरांत सह-अभियुक्त मौंटी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है तथा कथित बरामदगी के समय वह भी आवेदक के साथ कार में बैठा हुआ था, किंतु आवेदक वाहन का चालक एवं स्वामी है। अतः आवेदक का मामला उससे भिन्न है और इसलिए सह-अभियुक्त मौंटी के आदेश से आवेदक को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

11. इसके अतिरिक्त, कथित अपराधों के लिए न्यूनतम दंड भी दस वर्ष है और आवेदक फरवरी, 2026 से ही जेल में है।

12. अतः, ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी दृष्टि में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

13. तदनुसार, वर्तमान द्वितीय जमानत आवेदन में कोई सार नहीं है और इसलिए इसे निरस्त किया जाता है।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।